न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
006/2019 (GCMS 2019/00110)	04.02.2019	24.03.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. नुतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैयालाल (विक्रेता/मालिक फर्म) मैसर्स बालाजी स्टोर (मो. नं. 9414141675) विवेकानंद वाटिका, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.)
2. रत्नेश कुमार सहलोत पुत्र सागरमल (थोक विक्रेता फर्म/मालिक) मैसर्स ओसवाल ट्रेडर्स (मो.नं. 9460041071) नवाबगंज, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी डी/16, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.)
3. आशीष अग्रवाल पुत्र मोहनलाल अग्रवाल (नोमिनी थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स (मो.नं. 9414143961) कोयला गली, कोट गेट, बीकानेर (राज.), निवासी ऐ.के. टाइल्स फैक्ट्री के पास, डागा क्वॉटर, रानी बाजार, बीकानेर 334001
4. श्रीमति सीता देवी अग्रवाल पत्नि मोहनलाल अग्रवाल (थोक विक्रेता/मालिक फर्म) मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स (मो.नं. 9414143961) कोयला गली, कोट गेट, बीकानेर (राज.), निवासी ऐ.के. टाइल्स फैक्ट्री के पास, डागा क्वॉटर, रानी बाजार, बीकानेर 334001

अप्रार्थीगण

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2018

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2018 को समय 12.40 पीएम. पर मैसर्स बालाजी स्टोर, विवेकानंद वाटिका, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.) पर पहुँचें। वहां पर श्री नुतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैयालाल उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ घी (पारस ब्राण्ड) व अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेन्स मांगने पर प्रस्तुत किया गया एवं खाद्य लाईसेन्स प्रति प्रस्तुत की जो कि संलग्न है। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर घी (पारस ब्राण्ड) बेच नम्बर 69 के कुल 28 सील्ड पैकेट विक्रय हेतु रखे पाये गये। उक्त में से 1 सील्ड पेकेट घी (पारस ब्राण्ड) को ध्यान रो देखने पर उस पर घी (पारस ब्राण्ड) **Net Content 1 Ltr., Melt No.-69, M.R.P - 485/-,Date of PKD. 12 Jan. 2018 Best before 9 MONTHS FROM THE DATE OF PKG., Mfg. By-VRS FOODS LTD. Near Old Bus Stand, Gulaothi Dist. Bulandshaher (U.P.)** आदि अंकित पाया गया। विक्रेता ने उक्त घी (पारस ब्राण्ड) का वेट ईनवाईस/खरीद बिल नम्बर 395 दिनांक 30.01.2018 मैसर्स ओसवाल ट्रेडर्स निम्बाहेड़ा द्वारा जारी प्रस्तुत किया गया। उक्त घी (पारस ब्राण्ड) में मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जाँच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **VA** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु बार–बार आग्रह किया गया किन्तु किसी के भी गवाह बनने हेतु तैयार न होने पर महेन्द्र सिंह को गवाह बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही उनके सामने की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 1–1 लीटर की कुल 4 सील्ड पेकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 1440/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाय सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खारा सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में 1 सील्ड पेकेट) बॉट कर अलग–अलग रखा। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-927** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। एक सील नमूना भाग के सारे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जॉच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स बालाजी स्टोर निम्बाहेड़ा एवं मैसर्स ओसवाल ट्रेडर्स निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

व मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स बीकानेर को उनके ज्ञात सही नाम पते पर रजिस्टर्ड डाक से जांच रिपोर्ट की एक प्रति नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ़ के द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसकी मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/1786 दिनांक 09.04.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्रान्डेड होना पाया गया था। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1786 दिनांक 09.04.2018 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/382 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने घी (पारस ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 11.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 26.12.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक की और से जवाब परिवाद पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थीगण ने परिवाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि अभिकथित आवेदन के अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 24.02.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत अपने दल के साथ मैसर्स बालाजी स्टोर, वाटिका, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के परिसर पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे जहाँ उन्होंने नुतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैयालाल विक्रेता (वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 1) को दिन प्रति दिन के खाद्य पदार्थो का व्यापार करते हुए पाया। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी पहचान बतायी एवं उपरोक्त कथित परिसर के निरीक्षण की अपनी इच्छा व्यक्त की, उपरोक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरीक्षण के दौरान, अभिकथित आवेदन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफ.एस.ओ) ने घी (पारस ब्राण्ड) के बैच नम्बर 69 के कुल 28 सील्ड पैकेट जिसमें प्रत्येक पैकेट 1 ली0 का था उन पैकेटों को प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा ब्रिकी करने के लिए रखा गया था। केवल इस संदेह पर कि भण्डारित किया गया घी (पारस ब्राण्ड) अर्थात नमूना (सेंपल) ली गई वस्तु मिलावटी हो सकती है एफ.एस.ओ. ने उक्त वस्तु का नमूना (सेंपल) लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि इसे मनुष्य के अपभोग हेतु भण्डारित किया गया था एवं एफ.बी.ओ. ने उपर उल्लेखित परिसर से घी (पारस ब्राण्ड) का नमूना लिया। तत्पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पारस ब्राण्ड घी का 1 ली0 चार पैकेट नमूना जाँच हेतु खरीदा जिसकी कीमत रू 1440/– का नगद भुगतान करके विश्लेषण हेतु रसीद प्राप्त की, उसके बाद एफ.एस.ओ. ने फार्म '5 अ' की प्रतिलिपियाँ तैयार की। जिनमें से एक प्रति एफ.एस.ओ. ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को मौके पर ही दी एवं उसके हस्ताक्षर लिये यहाँ पर एक प्रतिलिपि परिवाद के साथ संलग्न की गई है। आगे कागज की एक पर्ची, जिसमें कोड कमांक एवं सरल कमांक ए.एम –927 उल्लेखित था, उस पर्ची को नमूने सेंपल के प्रत्येक भाग पर इसके आधार से लेकर शीर्ष तक चिपकाया गया था एवं मजबूत धागे से बांधा गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों व विनियमों के अनुसार परिवादी/एफ.एस.ओ. द्वारा सभी समकक्ष नमूनों को सीलबंद किया गया एवं दस्तावेज तैयार किये गये। इसके पश्चात् नमूना ली गई वस्तु के घी (पारस ब्राण्ड) को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर (राजस्थान) को अग्रेषित किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस.86/एक्ट/2018/106 दिनांक 13 मार्च 2018 द्वारा जो उक्त नमूना (सेंपल) को खाद्य सुरक्षा, एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिध्याछाप (**Misbranded**) घोषित किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम एवं विनियम के अनुसार, नमूने को इसके अनुरूप नहीं पाया गया। एफ.एस.एस. (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम क्रमांक 2.2.2(10) के अनुसार, नमूनों को लेबल नही किया गया एवं शेष नमूनों को एफ.एस.एस अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम व विनियम, द्वारा निर्धारित अन्य मानकों/मापदण्डों के अनुरूप पाया गया। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) के अन्तर्गत प्रतिवादीगणों के विरूद्ध वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है एवं विधि और तथ्य दोनों पर ही स्थापित नही है और इसी कारण शुरूवात में ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण, वर्तमान आवेदन पूर्णतः आधार विहीन व गुण दोषों पर शून्य है और नमूना ली गई वस्तु, अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अपूर्ण अनुपालन में निर्मित एवं पैक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की गई है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 4 निवेदन करता है कि एफ.एस.एस. अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाये गये विनिययों के तहत कोई भी अपराध नही बनता है, क्योकि खाद्य सुरक्षा एव मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) का सारभूत अनुपालन किया गया है एवं वांछित जानकारी लेबल पर मुद्रित की गई थी इसलिए उत्पाद के उपभोक्ता को किसी प्रकार की हानि कारित नही की गई है एवं शिकायतकर्ता/एफ.एस.ओ. और स्वीकृति दाता अधिकारी इसका मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं। प्रतिवादीगण निवेदन करते हैं कि उन्होने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम 2.2.2(10) का सारवान अनुपालन किया है एवं सैपल ली गई वस्तु में जो वास्तविक घोषणा पायी गयी थी अर्थात ''पैकिग की तिथि से 9 के पूर्व'' उससे अधिक सूचित करता है जो कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में खरीदने वालों को सूचित किया जाना आवश्यक था ''तिथि के'' शब्द का प्रयोग मात्र एक अधिशेष समय, उत्तर दे रहे प्रतिवादी को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राहकों को उत्पाद की प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि और इसके प्रयोग की समय सीमा के सबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है। भिन्न–भिन्न उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में उन्त बिन्दु को निर्धारण किया गया है और पूर्व के निर्णयों/आदेशों को निरस्त किया गया है।

1. नेहरू दासन बनाम फूड इंस्पेक्टर, मदुरई कोरपोरेशन, मदुरई 2010–1 एफ.ए.सी. 49, मद्रास उच्च न्यायालय का भी अधिनियम की धारा 32 के उल्लंघन पर आधारित अभियोजन का इस प्रकार का प्रकरण है जिसमें कि इसी उच्च न्यायालय के ए.राजा सिंह एवं अन्य बनाम द फूड इंस्पेक्टर, 2008 (1) एफ.ए.सी. 172 का एक निर्णय उल्लिखित किया गया है जिसमें कि यह अभिनिर्धारित किया गया था जो कि निम्नानुसार है ''यद्यपि कि दोनों शब्दों में पायी गयी शब्दावली देखने में भिन्न है, वास्तविकता में कोई भी ग्राहक गुमराह नहीं किया जाएगा यदि उसने शब्द ''चार महीने के अंदर सबसे अच्छा'' देखा है एवं इसमें ''चार महीने के पहले सबसे अच्छा'' शब्दों का अभाव है और ''चार महीने के अंदर सबसे अच्छा'' शब्दों का अभाव है और ''चार महीने के अंदर सबसे अच्छा शब्दों का प्रयोग किसी भी प्रकार से ग्राहक को गुमराह नहीं करेगा, और इसको किसी भी प्रकार की कल्पना से उत्पाद की गलत ब्रांडिंग के रूप में नही कहा जा सकता है। यह देखा जाना है कि उत्पाद मिलावटी नहीं है और केवल गलत ब्रांडिंग का आरोप यहाँ पर है।
2. दूसरे प्रकरण टी. प्रभु एण्ड एनोदर बनाम द स्टेट 2007 (1) एफ. ए.सी. 314, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि शब्द ''के अंदर'' दिनांक 01.09.2001 के पश्चात विलोपित किया गया है किन्तु ऐसे शब्द के जोडे जाने मात्र से

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राहकों को गुमराह या भ्रमित किया जाना नहीं कहा जा सकता क्योकि इसके व्यक्त किये गये अर्थ में अन्यथा कोई अन्तर नहीं था। दूसरे प्रकरण हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड एण्ड अदर्स बनाम फूड इंस्पेक्टर, 2007 (1) एफ.ए.सी. 299, में मद्रास उच्च न्यायालय ने लेबल के सबंध में समान राय दी है जिसमें कि तुरन्त के प्रकरण में समान शब्द अर्थात 'पैकेजिंग की तारीख से छः महीने के भीतर सबसे पहले' रखता है। एक दूसरे प्रकरण रामबाबू रस्तोगी बनाम राज्य 2012(1) एफ.ए.सी. 58, में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में यह अभिनिर्धारित किया था कि घोषणा ''के पहले सबसे अच्छा'' में शब्द ''के अंदर'' का जोडा जाना अधिक उपभोक्ता अनुकूल है और विधि के अन्तर्गत किसी अपराध के किये जाने से तात्पर्यित नही है।

अतः उत्तर देने वाले प्रतिवादीगण निवेदन करते हैं कि विभाग की एक मात्र शिकायत शब्द ''की तिथि'' से थी जो कि याचिकाकर्ता द्वारा लेबल पर जोडा गया था। यहाँ तक कि और अन्यथा, लेबल की घोषणा का उद्देश्य यह था कि ग्राहक को वस्तु खरीदते समय इस बात की जानकारी हो कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है वह वस्तु प्रयोग किये जाने योग्य है और किस समय तक उस वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण उपरोक्त प्रस्तुतियों और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए. उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम के विनियम 2.2.2(10) के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया है। इस कारण ऊपर उल्लेखित उत्पाद के ग्राहक को कोई भी हानि कारित नहीं की गई है जिसका कि परिवादी/एफ.एस.ओ. और स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी मूल्यांकन करने में असफल रहें हैं और एफ.एस.एस. अधिनियम व इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का उचित अनुपालन किया गया है अतः अभिकथित अपराध के विरूद्ध वर्तमान आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। उत्तर देने वाला प्रतिवादी सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दूसरे प्रकरण ओम प्रकाश नटानी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ ने आपराधिक रिट याचिका क्रमांक 287/2014 दिनांक 19.02.2015 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शब्द ''के अंदर'' जोडा गया था परन्तु यह आशय नही बदलता है अतः इसे कडे शब्दों में एक गलत ब्रंडिंग का प्रकरण होना नहीं कहा जा सकता है। विद्वान ए.ओ./ए.डी.एम. द्वारा पारित चुनौती दिये गये ओदश को निरस्त किया जाता है। यहाँ पर यह उल्लेख किया जाना उचित है कि सैपल ली गई वस्तु में पायी गयी घोषणा ''पैकेजिंग की तारीख से 9 से पहले सबसे उच्छा'' थी जिसमें कि उत्पाद की विशुद्धता के बारे में ग्राहकों को वांछित जानकारी की अपेक्षा कही अधिक जानकारी दी। अधिशेष समय के लिए ''तिथि का'' प्रयोग मात्र उत्तर देने वाले प्रतिवादीगणों को दाण्डिक प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लायेगा। किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राहकों को उत्पाद की प्रकृति मात्रा, गुणवत्ता अथवा निर्माण की तिथि अथवा इसके प्रयोग की समय सीमा के संबंध में गुमराह अथवा धोखा दिया गया है, उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा मामूली लेबलिंग दोष के प्रकरणों के संबंध में स्पष्टीकरण के लिये खाद्य सुरक्षा के सभी आयुक्तों को दिनांक 17 जुलाई 2018 को जारी किये गये पत्र की ओर विद्वान ए.ओ./ए. डी.एम. का ध्यान आकर्षित किया गया है उक्त आदेश द्वारा एफ.एस.एस. आई. ने स्वयं माना है कि तुच्छ प्रकृति के मामूली लेबलिंग दोषों को एफ.एस.एस. अधिनियम में दर्शित योजना 32 की प्रक्रिया का अनुसरण करके आसानी से किया जा सकेगा। आगे एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा के आयुक्तों को सलाह दी है कि वे मामूली लेबलिंग दोषों से सबंधित ऐसे प्रकरण जो खाद्य सुरक्षा को खतरे में नही डालतें, उन्हे एफ.एस.एस. अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सलाह दी है। इस कारण उपरोक्त पत्र के प्रकाश में, यह माननीय न्यायालय वर्तमान आवेदन को निरस्त करने का एक आदेश अथवा उत्तर देने वाले प्रतिवादीगणों को का आदेश पारित कर सकता है। उक्त पत्र दिनांक 17.07.2018 की प्रतिलिपि को संलग्नक 'अ' के रूप में संलग्न किया जाता है। उत्तर देने वाले प्रतिवादी क्रमांक 1 व 4 आगे निवेदन करता है कि खाद्य विश्लेषक की विश्लेषण रिपोर्ट को उत्तर देने वाले प्रतिवादी क्रमांक 1 व 4 को कभी भी नही भेजा गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 का नियम 3.1.1 अपील का अधिकार प्रदान करता है जो कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध नामांकित अधिकारी के समक्ष उस व्यक्ति द्वारा जिससे नमूना लिया गया था अथवा उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम और पते और अन्य विवरण नियम 2.5 के अन्तर्गत बताये गये है। अथवा थोक विक्रेता या निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। आगे नियम 2.4.2(6) यह प्रावधान करता है कि खाद्य विश्लेषक एफ.ए. द्वारा विश्लेषण की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, डी.ओ. रिपोर्ट की एक प्रति एफ.बी.ओ. को भेजेगा। यह निवेदन किया जाता है कि उत्तर देने वाले प्रतिवादीगण को एफ.ए. की रिपोर्ट कभी भी भेजी नही गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रतिवादीगण एफ.एस.एस. अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने को संप्रेषण खाद्य प्रयोगशाला से पुनः विश्लेषण कराने के अपने अधिकार के तहत अपील करने से वंचित रह गये। इस कारण डी. ओ/एफ.एस.ओ. द्वारा की गई कार्यवाही विधि के अनुसार अनुचित है एवं इसके द्वारा उत्तर देने वाले प्रतिवादी को उसके महात्वपूर्ण अधिकार से वंचित करके, उसके साथ अन्याय हुआ है। अतः वर्तमान परिवाद केवल इसी आधार पर ही निरस्त किए जाने योग्य है। उत्तर देने वाला प्रतिवादी निवेदन करता है कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अस्पष्ट एवं संदिग्ध है एवं इस पर विश्वास नही किया जा सकता आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर इस बात का खुलासा करने में विफल रहा था कि कैसे व किस तरीके से नमूने को गलत ब्रांडेड किया गया । यहाँ यह उल्लिखित किया जाना उचित है कि किसी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विचार/पर्यवेक्षण के अभाव में नमूना ली गई वस्तु को कैसे गलत ब्रांडेड किया गया। खाद्य विश्लेषक को रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता अतः वर्तमान परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। इस संदर्भ में उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय के प्रकरण ए. एडविन एल्स एवं अन्य विरूद्ध फूड इंस्पेक्टर. 2015(2) एफ.ए.सी. 389 का हवाला दिया है जहाँ पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लोक विश्लेषक ने कहा कि नमूना गलत ब्रांडेड किया गया था लेकिन यह उल्लेख नही किया कि कैसे एवं किस तरीके से इसे गलत ब्रांडेड दर्शित होता है कि कुछ भी उल्लेख नही किया गया है और इस कारण परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त प्रस्तुती की बिना पूर्वधरणा एवं इस पर पूर्ण विश्वास किए बगैर उत्तर देने वाला प्रतिवादी आगे निवेदन करता है कि अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत उसे न कभी सूचना पत्र भेजा गया एवं न ही प्रदाय किया गया आगे परिवाद पर भी ऐसे कोई भी दस्तावेज नहीं है जो इस तथ्य को दर्शाये कि अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत अभिकथित सूचना पत्र उत्तर देने वाले प्रतिवादी को कभी भी जारी किया गया या भेजा गया अथवा उसे प्रदाय किया गया। यह निवेदन किया जाता है कि परिवादी/एफ.एस. ओ. और संबंधित पदनामित अधिकारी अभिकथित सूचना पत्र के जारी करने का और तदुपरान्त उसे उत्तर देने वाले प्रतिवादी के प्रदान करने का कठोर प्रमाण प्रस्तुत कर सकतें है। पी.एफ.ए. अधिनियम के अन्तर्गत भी इसी प्रकार का प्रावधान है और निम्नलिखित प्राधिकारी भी शामिल हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त को सैंपल को श्रेष्ठ प्रयोगशाला में भेजने का अवसर देना चाहिए अर्थात केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला सर्वोत्तम थी और यदि उसे इस अधिकार को देने से मना किया गया तो इससे सम्पूर्ण विचारण निष्फल हो जाता है उपरोक्त प्रस्तुती के सबंध में निम्नलिखित निर्णय उद्धरित किये जाते हैं। रामेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1996(2) एस. सी., 197 एफ.ए.सी., 1 (एस.सी.), उडीसा राज्य बनाम गौरंगा साहू। 2003 सी.आर.एल.जे. 3077 (एस.सी.) में प्रकाशित, फूलचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2009(2) एफ.ए.सी. 108 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) श्री चंदन पॉल बनाम असम राज्य, 2012(2) एफ.ए.सी. 390 (गोवाहाटी एच.सी.) उत्तर देने वाला प्रतिवादी ने सर्वोच्च न्यालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को उद्धरित कर रहा है, रामेश्वर दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्त को सैंपल को श्रेष्ठ प्रयोगशाला में भेजने का अवसर देना चाहिए अर्थात केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला सर्वोत्तम थी और यदि उसे इस अधिकार को देने से मना किया गया तो इससे सम्पूर्ण विचारण निष्फल हो जाता है और गौरंगा साहू (पूर्वतन) के प्रकरण मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल धारा 13(2) के अन्तर्गत सूचना पत्र भेजकर अभियोजन अपने भार से मुक्त नहीं हो जाता बल्कि उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सूचना पत्र अभियुक्त को उसके मूल्यवान अधिकार अर्थात सैंपल को सी.एफ.एल. से विश्लेषण कराने के बारे में सूचित करना है,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यहाँ पर इस निष्कर्ष से नही बचा जा सकता कि धारा 13(2) अनिवार्य है और इसका अनुपालन न करना वास्तव में विचारण को निष्फल कर देता है। इस कारण प्रतिलिपि को न दिया जाना, अभियुक्त के मूल्यवान अधिकार का उल्लंघन होना है। जो उसके साथ गंभीर पक्षपात होना कारित करता है। इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तुतियों के प्रकाश में वर्तमान परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधिनियम की धारा 46(4) के अनिवार्य प्रावधानों का अनुसरण करने में विफल रहा है इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 1 व 5 के मूल्यवान अधिकार को पक्षपात पूर्ण और निराशा जनक बनाते है एवं अपील करने और सैपल को बेहतर प्रयोगशाला अर्थात संप्रेषण प्रयोगशाला से विश्लेषण कराने से वंचित करता है। खाद्य विश्लेषक ने एफ.एस.एस. अधिनियम 2011 के नियम 2.4.2(6) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा सैंपल का विश्लेषण करके या विश्लेषण करवा करके, विश्लेषण रिपोर्ट में विश्लेषण के तरीके का उल्लेख करके उसे भेजना होता है एवं सैंपल प्राप्त होने के पश्चात्, विश्लेषण रिपोर्ट 14 दिवस के अन्दर भेजी जावेगी। यदि किसी अप्रत्यक्ष कारण से, सैंपल का विश्लेषण किया या कराया नहीं जा सका तो उसे पदनामित अधिकारी डी.ओ./खाद्य सुरक्षा आयुक्त को देरी के सबंध में सूचित करना होगा और निर्धारित अवधि के पश्चात् सैंपल के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त समय मॉगना होगा। उत्तर दे रहे प्रतिवादीगण आगे निवेदन करते हैं कि डी.ओ. द्वारा दी गई मंजूरी बिना विचार के दे गई है और डी.ओ. परिवादी द्वारा की गई गलतियों का पर्यवेक्षण करने में विफल रहा है जबकि दस्तावेजों को तैयार करे एवं परिवाद को प्रस्तुत करके, खाद्य विश्लेषक ने सैंपल का विश्लेषण करते समय यह गौर नही किया कि दस्तोवज अधूरे थे एवं एफ.एस.एस. अधिनियम व इसके तहत बनाये गये नियम व विनियम के विरोधाभास में थे। इस कारण खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट असत्य और गलत है एवं खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 और इसके संबद्ध नियम व विनियम के प्रावधानों व निर्धारित मानको के विरोधाभास में है एवं इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता अतः उत्तर देने वाले प्रतिवादीगणों के द्वारा कोई भी अपराध कारित नही किया गया है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी का आवेदन कोई कार्यवाही आकर्षित नहीं करता है अतः यह खारिज किये जाने योग्य है। पदनामित अधिकारी ने अभियोजन चलाने की मंजूरी देकर बहुत बड़ी गलती की है। यह निवेदन किया जाता है कि पदनामित अधिकारी ने अभियोजन चलाने की स्वीकृती देते समय, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व इसके सम्बद्ध नियम एवं विनियम तथा प्रतिवादीगणों द्वारा की गई प्रस्तुतियों को अनदेखा किया है। उन्होने तथ्यों व परिस्थितियों पर भी ध्यान नही दिया है जो कि दस्तावेजों के अभिलेख से स्पष्ट है इस प्रकार वह अपने विवेक का उपयोग करने में असफल रहे है। और वर्तमान कार्यवाहियों के चलने योग्य होने के बारे में पुष्टि किये बिना, सरसरे तरीके सें अभियोजन की मंजूरी दे दी है। इस कारण पदनामित अधिकारी द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने की प्रकिया गलत है

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 और इसके संबंध नियम व विनियम के प्रावधानों व निर्धारित मानको के विराधाभास में है एवं इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता अतः उत्तर देने वाले प्रतिवादीगणों के द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी का आवेदन कोई कार्यवाही नहीं आकर्षित करता है अतः यह खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि परिवादी द्वारा सैंपल लेने की कार्यवाही करते समय, किसी भी स्वतंत्र लोक साक्षी को उक्त प्रकिया के समय नहीं सम्मिलित किया गया जो कि अधिनियम के प्रावधानों व नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के पूर्णतः विपरीत है। उत्तर देने वाला प्रतिवादी आगे निवेदन करता है कि माननीय निर्णय अधिकारी/ए.डी.एम. प्रकरण के त्वरित निस्तारण के लिये साक्षियों का परीक्षण कर सकते है। आगे उत्तर देने वाले प्रतिवादी को परिवादी/एफ.एस.ओ. और खाद्य विश्लेषक फूड एनालिस्ट कोटा (राजस्थान) तथा अन्य दूसरे साक्षीगणों को न्याय हित में इस माननीय प्राधिकरण की अनुमति से प्रतिपरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। इस उत्तर देने वाले प्रतिवादी ने नीचे उल्लिखित निर्णय को प्रति परीक्षण के सबंध में उद्धरित किया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रकरण में कारगिल इंडिया प्रा.लि. बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, 2016(1) एफ.ए.सी. 416. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 4 स्वीकार करता है कि सैंपल ली गई वस्तु उत्तर देने वाले प्रतिवादी द्वारा तैयार नहीं की गयी थी एवं उसे कोई आपत्ति नहीं है यदि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 को एफ.एस.एस. अधिनियम 2006 की धारा 80(बी)(2)(डी)(1) का लाभ दिया जाता है। उत्तर दे रहे प्रतिवादी के विरूद्ध परिवाद किसी भी गुण से रहित है और उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं बनता है तथा उत्तर देने वाले प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई उचित आधार नही है। ऐसी परिस्थतियों में इस माननीय प्रधिकारी के समक्ष चल रही कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अप्रार्थीगण की और से प्रार्थना की गई कि उत्तर दे रहे प्रतिवादीगण के विरूद्ध आवेदन किसी भी गुण से रहित है और उसके विरूद्ध प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का कोई प्रकरण नहीं बनता है तथा उत्तर देने वाले प्रतिवादी के विरूद्ध कार्यवाही करने का कोई उचित आधार नही है। ऐसी परिस्थतियों में इस माननीय प्रधिकारी/न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है, कि माननीय प्राधिकारी/न्यायालय वर्तमान प्रकरण में लगाये गये आरोपों को गुणदोषों पर अधिनिर्णित करने से पहले, प्रारंभिक आपत्ति को परिवाद के चलने योग्य होने पर अपना निर्णय कर सकता है। यहाँ उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों एवं परिस्थितयों के आधार पर, उत्तर देने वाला प्रतिवादी अत्यधिक आदरपूर्वक प्रार्थना करता है कि यह माननीय प्रधिकरण परिवाद को निरस्त करके उत्तर देने वाले परिवादी को उन्मोचित करने का एक आदेश पारित कर सकता है, और ऐसे अन्य आदेश जिन्हें वह उचित समझता हैं उन्हें पारित कर सकता है एवं यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि उपरोक्त उल्लेखित प्रस्तुतियाँ संभावनापूर्वक एवं नैसर्गिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय एवं साम्य के अर्न्तगत की गई हैं। अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जवाब परिवाद शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 10.03.2021 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण राजेश वर्मा हाजिर आयें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस पत्रावली में जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं परिवाद खारीज किये जाने की ईश्तदुआ की साथ अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को घी (पारस ब्राण्ड) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है। मैसर्स बालाजी स्टोर, निम्बाहेडा द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जारी खरीद बिल संख्या **RI 829** दिनांक 24.02.2018 से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.02.2018 का अवलोकन किया। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 24.02.2018 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ घी (पारस ब्राण्ड) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-927** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 62 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2018/1100 दिनांक 26.02.2018 से पत्रवाहक महेन्द्रसिंह (सहायक कर्मचारी) के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-927** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद को अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्रसिंह (सहायक कर्मचारी) द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 26.02.2018 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2018/1786 दिनांक 09.04.2018 से अप्रार्थी संख्या 1 को एवं पत्रांक/एफएसएसए/2018/1785 दिनांक 09.04.2018 से मैसर्स ओसावल ट्रेडर्स, निम्बाहेडा को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 86/Act/2018/106 Dated 13-03-2018** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 86/Act/2018/106 Dated 13-03-2018** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report No LS 86/Act/2018/106 Dated 13-03-2018

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Ghee (Paras) Bearing code no, and serial no. AM-927 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.CH.O of District Chittorgarh on 26.02.2018 tor analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 62 Intact and unbroken. Tlie seals fixed on the container and outer cover tallicd with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.

I found the sample to be Butter, ghee & milk fat falling under Regulation No. 2.1.10.2 (Ghee) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 12.03.2018 to 13.03.2018 and the result of
its analysis is given below-
ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample contained in a sealed original company duplex pack of IL. (900g) at 45°C.
(ii) Physical appearance:- Whitish granular viscous paste in appearance.
(iii) Label :-- Brand- Paras, Name of food- Ghee, Mfd. by- VRS Foods Ltd., Near Old bus stand. Gulaothi, Dist.- Bulandshaher (U.P.), Pkd. on.- 12JAN2018 Batch No.- M.No.- 69, BEST BEFORE 09 MONTHS FROM DATE OF PACKAGING, (Given but not as per Regulations) Contravention to Regulation 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011. Green symbol of veg.- Present. Ingredients- Present, Nut. Value - Given, Fssai Lic. No.- 10012051000230. Bar cod No.-8906001727149, Agmark No.- A1/000123.
Opinion:- The sample of Ghee (Paras) Bearing code no. and serial no. AM-927 of Designated office (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is Misbranded food. The sample is misbrandec food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि बास सील संख्या 62 से सील्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 12.03.2018 से 13.03.2018 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Butter, ghee & milk fat falling under Regulation No. 2.1.10.2 (Ghee) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011., एवं Brand- Paras, Name of food- Ghee, Mfd. by- VRS Foods Ltd., Near Old bus stand. Gulaothi, Dist.- Bulandshaher (U.P.), Pkd. on.- 12JAN2018 Batch No.- M.No.- 69, BEST BEFORE 09 MONTHS FROM DATE OF PACKAGING, (Given but not as per Regulations) Contravention to Regulation 2.2.2(10) of Food Safety & Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011.,** है, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-927** घी (पारस ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf)(C(i)** के तहत मिस ब्राण्ड स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि स्वरूप खाद्य विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। हमने अभिहित अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2018/1786 दिनांक 09.04.2018 एवं पत्रांक/एफएसएसए/2018/1785 दिनांक 09.04.2018 का अवलोकन किया। उक्त रजिस्डर्ट पत्रों से अभिहित अधिकारी अप्राथी संख्या 1 एवं मैसर्स ओसावल ट्रेडर्स, निम्बाहेडा को खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रेषित किया जाना जाहिर होता है। उक्त पत्र जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस तथ्य को अप्रार्थीगण अपने जवाब परिवाद में उठाया गया कि खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को प्रेषित नहीं की गई है जबकि आवेदक खाद्य अधिकारी ने अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित किये जाने के संबंध में पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। इसके साथ ही अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2018/3395 दिनांक 07.08.2018 द्वारा मैसर्स अग्रवाल एण्ड संस, कोयला गली कोल गेट, बीकानेर के पते पर भी खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाना आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया गया है। किन्तु इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से नमूने के रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराये जाने के अधिकार का उपयोग नहीं किया जाना जाहिर होता है, जबकि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब परिवाद में इस तथ्य को भी उठाया है। जबकि आवेदक द्वारा खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट को प्रेषित किया जाना प्रमाणित कराया गया है। **M/S OSWAL TRADERS, Nimbahera** द्वारा **M/S BALAJI STORE NBH** को जारी **Invoice No. OT/395** दिनांक 30.01.2018 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स ओसवाल ट्रेडर्स, निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा मैसर्स बालाजी स्टोर, निम्बाहेडा को सप्लाई किया गया। उक्त बिल की प्रति रिकार्ड पर है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2018/2851 दिनांक 26.06.2018 से मैसर्स बालाजी स्टोर, निम्बाहेडा से फर्म के संविधान के संबंध में सूचना चाही गई। इसके साथ ही अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/ 2018/2850 दिनांक 26.06.2018 से मैसर्स ओसवाल ट्रेडर्स, निम्बाहेडा से फर्म के संविधान के संबंध में सूचना चाही गई। इस पर ओसवाल ट्रेडर्स, निम्बाहेडा द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2018 से वांछित सूचना प्रस्तुत की गई एवं उक्त खाद्य पदार्थ का खरीद बिल की प्रति प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। खरीद बिल की प्रति से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्स अग्रवाल एण्ड संस, बीकानेर द्वारा जरिये **Invoice No. 717** दिनांक 17.01. 2018 से मैसर्स ओसवाल ट्रेडर्स, निम्बाहेडा को विक्रय किया जाना जाहिर होता है। इस पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2018/3393 दिनांक 07. 08.2018 से मैसर्स अग्रवाल एण्ड संस, बीकानेर से फर्म के संविधान के संबंध में सूचना चाही गई। इस बाबत् स्मरण पत्रांक/समसंख्यक /3822 दिनांक 07.09.2018, एवं पत्रांक/समसंख्यक/12 दिनांक 02.01.2019 अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी किया जाना जाहिर होता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/ 2019/382 दिनांक 25.01.2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है। जहां तक अप्रार्थीगण द्वारा अधिनियम की धारा 32 के संबंध तथ्य उठाया गया तो इस संबंध सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 36 के तहत कार्यवाही संपादित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में इस तथ्य को वर्तमान परिस्थिति में देखा जाना उचित नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पांगी नहीं होते है। इसके साथ ही विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब में परिवाद में उठाये गये समस्त तथ्यों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद के समस्त तथ्यों ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया गया है, एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

(i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;

(ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and

(iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

(i) which is unsafe; or

(ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or

(iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or

(iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or

(v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

(a) Supplied after the date of its expiry; or

(b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or

(c) Unsafe or misbranded; or

(d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or

(e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or

(f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

(a) sold after the date of its expiry; or

(b) handled or kept in unhygienic conditions; or

(c) misbranded; or

(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने से अप्रार्थी संख्या 1 श्री नुतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैयालाल (विक्रेता/मालिक फर्म) मैसर्स बालाजी स्टोर (मो. नं. 9414141675) विवेकानंद वाटिका, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.), अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से अप्रार्थी संख्या 2 श्री रत्नेश कुमार सहलोत पुत्र सागरमल (थोक विक्रेता फर्म/मालिक) मैसर्स ओसवाल ट्रेडर्स (मो.नं. 9460041071) नवाबगंज, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी डी/16, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.), मैसर्स अग्रवाल एण्ड संस, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने से अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 3 एवं 4 क्रमशः श्री आशीष अग्रवाल पुत्र मोहनलाल अग्रवाल (नोमिनी थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स (मो.नं. 9414143961) कोयला गली, कोट गेट, बीकानेर (राज.), निवासी ऐ. के. टाइल्स फैक्ट्री के पास, डागा क्वॉटर, रानी बाजार, बीकानेर 334001 एवं श्रीमति सीता देवी अग्रवाल पत्नि मोहनलाल अग्रवाल (थोक विक्रेता/मालिक फर्म) मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स (मो.नं. 9414143961) कोयला गली, कोट गेट, बीकानेर (राज.), निवासी ऐ. के. टाइल्स फैक्ट्री के पास, डागा क्वॉटर, रानी बाजार, बीकानेर 334001 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्तगण को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 तक की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड अप्रार्थीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री नुतन प्रकाश शारदा पुत्र कन्हैयालाल (विक्रेता/मालिक फर्म) मैसर्स बालाजी स्टोर (मो. नं. 9414141675) विवेकानंद वाटिका, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.) को रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र, अभियुक्त संख्या 2 श्री रत्नेश कुमार सहलोत पुत्र सागरमल (थोक विक्रेता फर्म/मालिक) मैसर्स ओसवाल ट्रेडर्स (मो.नं. 9460041071) नवाबगंज, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी डी/16, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ 312001 (राज.) को रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये मात्र, अभियुक्त संख्या 4 श्री आशीष अग्रवाल पुत्र मोहनलाल अग्रवाल (नोमिनी थोक विक्रेता फर्म) मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स (मो.नं. 9414143961) कोयला गली, कोट गेट, बीकानेर (राज.), निवासी ऐ.के. टाइल्स फैक्ट्री के पास, डागा क्वॉटर, रानी बाजार, बीकानेर 334001 को रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र एवं अभियुक्त संख्या 4 श्रीमति सीता देवी अग्रवाल पत्नि मोहनलाल अग्रवाल (थोक विक्रेता/मालिक फर्म) मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स (मो.नं. 9414143961) कोयला गली, कोट गेट, बीकानेर (राज.), निवासी ऐ.के. टाइल्स फैक्ट्री के पास, डागा क्वॉटर, रानी बाजार, बीकानेर 334001 को रूपये 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र अर्थात् अभियुक्तगण को कुल शास्ति रूपये 150,000/– अक्षरे एक लाख हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **24.03.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.31 12:18:55 IST
Reason: SelfAttested